प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 29.11.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1026/2025 धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नागेन्द्र पुत्र चन्द्रदेव निवासी गौरेडीह थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर को आज दिनाँक 29.11.2025 को खलीलाबाद मेंहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 06.11.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। आज दिनाँक 29.11.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, का0 लालचन्द प्रसाद, पीआरडी रामधनी ।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 02 वारण्टी नाम पता 01. धर्मवीर सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी हटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. शोभा देवी पत्नी फौजदार निवासी चिरैयाडाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह, उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 अंगद यादव, का0 संजय यादव, म0का0 सुनीता गौड़।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6002 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत थुरंडा चौराहा से कालर ने बाइक और पिकप का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति राजा पुत्र सबीर अहमद निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियो द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0 आरक्षी मोहन प्रजापति, आरक्षी अजीजुल्लाह खाँ, हो०चा0 राशीद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 873 वाहनों से 9,41,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.11.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 873 वाहनों से 9,41,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी के 02 मामले से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***
- ***अभियुक्त के पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, गैस सिलेन्डर, 2000 रु0 नगद बरामद***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* द्वारा जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा आज दिनाँक 29.11.2025 को 01 अभियुक्त नाम पता भालचन्द्र उर्फ सगेन्द्र उर्फ सगेदू पुत्र बनारसी निवासी ग्राम बिहारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल, गैस सिलेन्डर, 2000 रु0 नगद बरामद करते हुए नन्दौर के पास से गिरफ्तार किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

***प्रथम घटना*-** दिनाँक 30.09.2025 को वादी श्री श्यामकरन पुत्र श्री बिहारी निवासी थाना बिहारे जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर दिनाँक 04.09.2025 को वादी के घर में चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 360/2025 धारा 351(2),115(2),305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

***द्वितीय घटना*-** दिनाँक 28.11.2025 को वादी श्री धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र श्री स्व0 रामनरेश चौधरी निवासी सुन्दरपुर बजहां थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर दिनाँक 27.11.2025 को वादी की **मोटरसाइकिल देवकली चौराहा से** चोरी हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 461/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

भालचन्द्र उर्फ सगेन्द्र उर्फ सगेदू पुत्र बनारसी निवासी ग्राम बिहारे थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः- चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल, गैस सिलेन्डर, 2000 रु0 नगद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजकुमार मिश्रा, हे0का0 मनोज यादव, का0 अमित कुमार यादव।